

प्रेषक,

मयंक सिंह,
अपर सिविल जज(जूंडि०),
न्यायालय संख्या-4, रामपुर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:- श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
जिला-रामपुर।

विषय:- एल०एल०एम० में दूरस्थ पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने एवं परीक्षा देने हेतु अनुमति के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी दूरस्थ प्रणाली से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, हरियाणा से एल०एल०एम० करना चाहता है। प्रार्थी को वर्ष 2020-2021 के सत्र में प्रवेश लेना है। इसलिए प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय से एल०एल०एम० की दूरस्थ विश्व विद्यालय कुरुक्षेत्र, हरियाणा में प्रवेश लेने व परीक्षा देने की अनुमति की आवश्यकता है। दूरस्थ एल०एल०एम० कोर्स में कक्षाओं में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अध्ययन के दौरान किसी भी प्रकार से न्यायिक कार्य प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी को दूरस्थ प्रणाली से एल०एल०एम० में प्रवेश व परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक-28-08-2020

प्रार्थी
Mayank Singh
(मयंक सिंह)

अपर सिविल जज(जूंडि०)
न्यायालय सं०-4, रामपुर।

Office of the District Judge

39615

31-8-2020

31-8-2020